भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4763
दिनांक 21.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

हर घर नल से जल योजना के तहत हो रही पानी की बर्बादी

4763. श्री सुधाकर सिंहः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है;
(ख) उक्त दूषित पानी के निपटान के लिए क्या व्यवस्था की गई है;
(ग) क्या जल निपटान प्रणाली की कमी के कारण जल जनित नई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जल निपटान के लिए कोई विशेष योजना शुरू की है या कोई प्रावधान किया है;
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में, विशेषकर बिहार में, अब तक क्रियान्वित ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं;
(च) इसके अंतर्गत प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है; और
(छ) क्या सरकार भविष्य में इस संबंध में कोई एकीकृत योजना शुरू करने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (छ): पेयजल राज्य का विषय है और पेयजल आपूर्ति स्कीमों/परियोजनाओं की आयोजना, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत, पेयजल और स्वच्छता विभाग राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पेयजल आपूर्ति स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए नीतिगत मार्गदर्शन, वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कदम मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाते हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत, पेयजल स्रोतों के विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन; तथा ग्राम अवस्थित जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा भरोसेमंद भू-जल स्रोतों से रहित पानी की कमी वाले, सूखा प्रवण और मरूभूमि क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण, शोधन एवं वितरण प्रणालियों के लिए अवसंरचना हेतु भी प्रावधान किए गए हैं।

जल संकट वाले क्षेत्रों के गाँवों में, बहुमूल्य ताजे पानी को बचाने के लिए, बिहार सहित सभी राज्यों को दोहरी पाइपगत जल आपूर्ति प्रणाली वाली नई जल आपूर्ति योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, अर्थात् एक पाइप में ताजा पानी की आपूर्ति और दूसरे पाइप में गैर-पीने योग्य/बागवानी/शौचालय फ्लशिंग के लिए शोधित ग्रेवाटर/अपशिष्ट पानी की आपूर्ति। इसके अलावा, इन क्षेत्रों के परिवारों के नल में लगने वाली जाली का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है, जिससे उनके घर के अंदर इस्तेमाल होने वाले कई नलों में इस जाली के लगने से पानी की काफी बचत होगी।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम-जी] चरण II के तहत, ग्रेवाटर के शोधन और पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा सहायता करने के लिए कई पहलें कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें कम लागत वाले, विकेन्द्रीकृत पारिवारिक और सामुदायिक-स्तर के विकल्प जैसे सोख गड्ढे, लीच पिट और मैजिक पिट शामिल हैं, जो भूजल पुनर्भरण में योगदान देने के साथ-साथ विविध प्रकार की मिट्टी और गांवों में जगह की उपलब्धता के अनुकूल हैं। ताजा पानी की मांग को कम करने के लिए किचन गार्डन में सीधे पुन: उपयोग के लिए ग्रेवाटर को भी बढ़ावा दिया जाता है। सामुदायिक स्तर पर, लीच पिट, अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब, निर्मित आर्द्रभूमि, फाइटो रिड, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस), और मृदा जैव प्रौद्योगिकी (एसबीटी) जैसे समाधानों को जनसंख्या कवरेज, भूमि उपलब्धता और स्थानीय भूगोल के आधार पर अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। ऐसी प्रणालियों से शोधित पानी का सिंचाई, भू-परिदृश्य, फ्लशिंग, निर्माण, भूजल पुनर्भरण, जलीय कृषि और अन्य ग्रामीण प्रयोगों के लिए सदुपयोग किया जा सकता है।

*****